प्ररुप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

राजस्थान के (4) झुन्झुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री नरेन्द्र कुमार, ग्राम कमालसर, पो. दिलोई दक्षिण, वाया बिसाऊ, जिला झुन्झुनू

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :

झुन्झुनू

तारीख:

23 मई 2019

(रवि जैन)

रिटर्निंग ऑफिसर

(4) झुंझुनूं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) झुन्झुनू

(रवि जैन)

रिटर्निंग ऑफिसर

(4) झुन्झुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू)

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the House of People from the (4) Jhunjhunu Parliamentary Constituency in Rajasthan.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that –

Sh. Narendra Kumar of Village - Kamalsar, Post - Diloi Dakshin, Via Bissau Distt. Jhunjhunu

sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:

JHUNJHUNU

Dated:

23 May, 2019

(Ravi Jain)

RETURNING OFFICER

(4) Jhunjhunu Parliamentary Constituency
(District Collector & District Magistrate)

Jhunjhunu

(RAVI JAIN) Returning Officer

(4) Jhunjhunu Parliamentary Consituency (District Collector & District Megistrate, Jhunjhunu)